न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 32/2025 दायर दिनांकः 09.04.2025

उनवान

1. हकीम आयु 61 वर्ष पुत्र युसूफ खां जाति मुसलमान निवासी शेरगढ तहसील अटरू जिला बारां (राज०) मो.नं. 9116447007

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थी :—विद्वान अभिभाषक श्री गौरव हाडा
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय दिनाकः 28.07.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल शेरगढ पटवार क्षेत्र शेरगढ़ तहसील अटरू की खाता संख्या 28 के ख0नं0 520 रकबा 0.54 है० किता 1 रकबा 0.54 हैं० आराजी प्रार्थी के शामलाती खाते दर्ज हैं। जिसमें प्रार्थी का गलत नाम हबीब पुत्र ईसब दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। जो कबिल गौर हैं। वाके ग्राम एवं माल शेरगढ पटवार क्षेत्र शेरगढ़ तहसील अटरू की खाता संख्या 27 के ख0नं0 549 रकबा 0.25 है०, ख0नं0 923/545 रकबा 0.76 है० किता 2 रकबा 1.01 हैं० आराजी प्रार्थी के शामलाती खाते दर्ज हैं। जिसमें प्रार्थी का गलत नाम हबीब पुत्र ईसब दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। जो कबिल गौर हैं। ग्राम एवं माल शेरगढ पटवार क्षेत्र शेरगढ़ तहसील अटरू की खाता संख्या 94 के ख0नं0 551 रकबा 0.02 है०, ख0नं0 567 रकबा 0.02 है० किता 2 रकबा 0.04 हैं० आराजी प्रार्थी के शामलाती खाते दर्ज हैं। जिसमें प्रार्थी का गलत नाम हकीम पुत्र ईसब खां दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। जो कबिल गौर हैं। ग्राम एवं माल शेरगढ पटवार क्षेत्र शेरगढ़ तहसील अटरू की खाता संख्या 120 के ख0नं0 547 रकबा 0.11 है०, ख0नं0

939／550 रकबा 0.08 है०, ख0नं0 941／548 रकबा 0.10 है० किता 3 रकबा 0.29 हैं० आराजी प्रार्थी के खाते दर्ज हैं। जिसमें प्रार्थी का गलत नाम हकीम उर्फ हबीब पुत्र ईसब दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। जो कबिल गौर हैं। ग्राम एवं माल शेरगढ पटवार क्षेत्र शेरगढ तहसील अटरू की खाता संख्या 95 के ख0नं0 505 रकबा 0.01 है०, ख0नं0 537 रकबा 0.1 है०, ख0नं0 546 रकबा 0.05 है० किता 3 रकबा 0.17 हैं० आराजी प्रार्थी के शामलाती खाते दर्ज हैं। जिसमें प्रार्थी का सही नाम हकीम पुत्र युसूफ खां दर्ज हैं तथा खाता संख्या 15 का ख0नं0 552 रकबा 0.05 है० किता 1 रकबा 0.05 है० आराजी प्रार्थी के शामलाती खाते दर्ज हैं। जिसमें प्रार्थी का सही नाम हकीम उर्फ हबीब पुत्र युसूफ खां दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। जो कबिल गौर हैं। प्रार्थना पत्र की मद नं० 1 लगायत 4 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम हबीब उर्फ हकीम पुत्र ईसब दर्ज है तथा जो प्रार्थी का गलत नाम हैं जबकि प्रार्थी का सही नाम हकीम पुत्र युसूफ खां हैं। आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, तथा अन्य दस्तावेजो मे प्रार्थी का नाम हकीम पुत्र युसूफ खां है। इसलिए प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो में भिन्न हैं। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो मे भिन भिन्न नाम होने से प्रार्थी को बैंक आदि से ऋण लेने व कृषि विकास कार्य करवाने में कई प्रकार की समस्याओ का सामना करना पडता है। अस्तु प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम हबीब उर्फ हकीम पुत्र ईसब के स्थान पर हकीम पुत्र युसूफ खां दर्ज करवाने का अधिकारी है। जिसे बिना न्यायलय की सहायता के नही करवाया जा सकता। अस्तु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण प्रथम बार दिनांक 17.02.2025 को प्रार्थी द्वारा प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधी योजना के आवेदन करने पर जमाबन्दी में गलत नाम दर्ज से आवेदन खारिज करने पर तथा प्रार्थीया द्वारा कई बार अप्रार्थी से नाम दुरुस्त करने का निवेदन के बावजूद भी नही करने पर अन्तिम बार मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र मे उत्पन्न हुआ जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद की विषयवस्तु व पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य हैं। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जायेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थिया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम हबीब पुत्र ईसब के स्थान पर हकीम पुत्र

युसूफ खां तथा प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम हबीब पुत्र ईसब के स्थान पर हकीम पुत्र युसूफ खां तथा प्रार्थना पत्र की मद नं० 3 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम हकीम पुत्र ईसबखां के स्थान पर हकीम पुत्र युसूफ खां तथा प्रार्थना पत्र की मद नं0 4 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम हकीम उर्फ हबीब पुत्र ईसब के स्थान पर हकीम पुत्र युसूफ खां दुरूस्त करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/राजस्व/2025/2423 दिनांक 02.07.2025 से रिपोर्ट पेश की गई।

साक्ष्यप्रार्थी के तहत शपथ पत्र Pw1 हकीम पुत्र युसूफ खां जाति मुसलमान निवासी शेरगढ तहसील अटरू व Pw2 रमजान खान पुत्र युसूफ खां जाति मुसमलमान निवासी शेरगढ के शपथ पत्र पेश किए गए तथा अभिभाषक प्रार्थी की बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल शेरगढ सम्वत 2071–74 खाता संख्या 95, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल शेरगढ सम्वत 2071–74 खाता संख्या 28, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल शेरगढ सम्वत 2071–74 खाता संख्या 27, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल शेरगढ सम्वत 2071–74 खाता संख्या 15, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल शेरगढ सम्वत 2071–74 खाता संख्या 94, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल शेरगढ सम्वत 2071–74 खाता संख्या 120, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, शपथ पत्र गवाहान व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट कमांक/राजस्व/2025/2423 दिनांक 02.07.2025 के अनुसार ग्राम शेरगढ के खाता संख्या 28 किता 1 का रकबा 0.54 है0, खाता संख्या 27 किता 2 का रकबा 1.01 है0, खाता संख्या 94 किता 2 रकबा 0.04 है आराजी शामलाती खाते दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक जमाबन्दी अनुसार उक्त खातों के खातेदार का नाम हकीम पुत्र ईसब खा दर्ज है तथा प्रार्थी के जॉब कार्ड, राशन कार्ड एवं आधार कार्ड में हकीम पुत्र युसुफ खां दर्ज है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण, साक्ष्यप्रार्थी तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल शेरगढ तहसील अटरू की खाता संख्या 28 कुल किता 1 का रकबा 0.54 है0 व ग्राम एवं माल शेरगढ के खाता संख्या 27 कुल किता 2 का रकबा 1.01 है0, ग्राम व माल शेरगढ के खाता संख्या 94 कुल किता 2 का रकबा 0.04 है0 व ग्राम व माल शेरगढ

के खाता संख्या 120 कुल किता 3 का रकबा 0.29 है0 आराजी में सह खातेदार हकीम उर्फ हबीब पुत्र ईशब के स्थान पर हकीम उर्फ हबीब पुत्र युसूफ खां किये जाने पर खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन होना प्रतीत होता है तथा प्रार्थी सहखातेदारों की सहमति भी साबित करने में असफल रहा है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत मूल रूप से खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट खारिज फरमाया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 28.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां